न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

प्रक0 –07/2021(2021/00047)
अन्वान : –

1. ताराचन्द पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी रसलाना तहसील भादरा –प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–श्री अमीत देहडू प्रार्थी
पेरोकार राज अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 08/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना भू. अभि. निरि. क्षैत्र घेउ के खाता सं 128/109 के खसरा न. 420/2 की 2.9970 है0, खसरा नं. 423 की 6.0070 है., खसरा सं. 436 की 3.8450 है., खसरा सं. 440 की 1.9210 है. बारानी कुल खसरा 4 की 14.6700 है. बारानी राजस्व रिकार्ड है तथा ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 133/114 के खसरा नं. 76/1 की 6.0700 है. राजस्व रिकॉर्ड में धर्माराम, कृष्ण कुमार व रामेश्वर के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 291/276 के खसरा नं. 433/5 की 0.2530 है. बारानी कुल खसरा 1 की 0.2530 है. बारानी कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम रामेश्वर वल्द धन्नाराम दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम ताराचंद वल्द धन्नाराम है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पैन कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज ताराचंद नाम से ही है। प्रार्थी का सभी दस्तावेजों में नाम ताराचंद पुत्र धन्नाराम ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पडता है। प्रार्थी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम रामेश्वर वल्द धन्नाराम की जगह ताराचंद वल्द धन्नाराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थी ने ... जवाब पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना पत्र रोही मौजा रासलाना भू. अभि. निरि. क्षैत्र घेउ के खाता सं 128/109 के खसरा न. 420/2 की 2.9970 है0, खसरा नं. 423 की 6.0070 है., खसरा सं. 436 की 3.8450 है., खसरा सं. 440 की 1.9210 है. बारानी कुल खसरा 4 की 14.6700 है. बारानी राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम रामेश्वर दर्ज है तथा ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 133/114 के खसरा नं. 76/1 की 6.0700 है. राजस्व रिकॉर्ड में धर्माराम, कृष्ण कुमार व रामेश्वर के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 291/276 के खसरा नं. 433/5 की 0.2530 है. बारानी कुल खसरा 1 की 0.2530 है. बारानी कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय संवहन से ताराचंद की जगह रामेश्वर पुत्र धन्नाराम दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का सही नाम ताराचंद पुत्र धन्नाराम है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो ताराचंद पुत्र धन्नाराम नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा रासलाना भू. अभि. निरि. क्षैत्र घेउ के खाता सं 128/109 के खसरा न. 420/2 की 2.9970 है0, खसरा नं. 423 की 6.0070 है., खसरा सं. 436 की 3.8450 है., खसरा सं. 440 की 1.9210 है. बारानी कुल खसरा 4 की 14.6700 है. बारानी राजस्व रिकार्ड में शामिल खाते में दर्ज है तथा ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 133/114 के खसरा नं. 76/1 की 6.0700 है. राजस्व रिकॉर्ड में धर्माराम, कृष्ण कुमार व रामेश्वर के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम रासलाना पटवार हल्का रासलाना भू. अभि. निरी. क्षैत्र घेउ के खाता संख्या 291/276 के खसरा नं. 433/5 की 0.2530 है. बारानी कुल खसरा 1 की 0.2530 है. बारानी कृषि भूमी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थी का सही नाम **रामेश्वर पुत्र धन्नाराम की जगह ताराचंद पुत्र धन्नाराम** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच रामेश्वर के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में रामेश्वर के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी रामेश्वर नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई तथ्य प्रकट होता हो तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार भादरा को ...

निर्णय आज दिनांक 08/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:05:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)